



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E mail: scoutguide_bpl@dataone.in Ph- ☎: 2661263, Fax: 2737446

क्रमांक / 1395 / रामु/युवा कार्य./2011
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8/6/2011

समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
जिला कार्यालय -----म.प्र.

विषय :- मासिक कार्यप्रतिवेदन भेजने बावत् ।
--00--

विषयांतर्गत लेख है कि जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) रेफ्रेसर कोर्स में आपको राज्य मुख्यालय द्वारा मासिक कार्यप्रतिवेदन पर जानकारी भेजने बावत् चर्चा की गई थी और निर्देश दिए गए थे कि सलग्न प्रोफार्मा में आपको प्रत्येक माह के 25 तारीख तक प्रतिवेदन अनिवार्यतः राज्य मुख्यालय को भेजा जाना है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह की 25 तारीख तक आप अपना मासिक प्रतिवेदन सलग्न प्रपत्र में तैयार कर ई-मेल /फेक्स द्वारा राज्य मुख्यालय भेजें। और दूरभाष द्वारा अश्वस्त करावें कि हमारा प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय पहुंच गया है इसमें किसी भी प्रकार की लापहुवाही बर्तने पर प्रतिमाह वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही नियमित 3 माह तक प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर आपकी सविदा समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे ।

सलग्न,


राज्य सचिव 8/6/2011

भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8/6/2011

पृ0क्र0 / 1396 / रामु/प्रशि-जी/प्रोजेक्ट/2011
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल
- 1- ए.एस.ओ.सी.(स्काउट/गाइड) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्त डी.ओ.सी.(स्काउट/गाइड) का प्रतिवेदन समयावधि में राज्य मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।


राज्य सचिव 8/6/2011

भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश



भारत स्काउट एवं गाइड, भयप्रदेश, राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल -
Phone: 2661263 2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E_mail: scoutguide_bpl@dataone.in



क्रमांक-

नाम जिला संगठनायुक्त-

माह- का प्राति प्रतिवेदन

दिनांक

क	कार्य गतिविधि	गत माह तक की उपलब्धि	इस माह की उपलब्धि	योग	उपलब्धि / कम होने के कारण	सिमांक	
1	संख्यात्मक वृद्धि 1. 1 ब्लॉक संघ का निर्माण 2. सन-2009-10 की गणना के आधार पर कब/ बुलबुल/ स्काउट/ गाइड / नै 10 प्रतिशत वृद्धि 3. रावर/ रेजर दलों में 20 प्रतिशत वृद्धि 4. नवीन दलों का गठन- अशासकीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत दलों की वृद्धि 5. एक स्वतंत्र दल का गठन 6. एक ग्रामीण सेवर रेजर दल का गठन 7. एक सेवर क्लब का गठन 2 गुणवत्ताक वृद्धि 1. 12 कब प्रतियोगिताएं एवं 6 बुलबुल स्वर्णपत्रक तैयार करना 2. 6 कब चतुर्थ चरण 6 बुलबुल हीरोक पत्र तैयार करना 3. चतुर्थ - चरण/ हीरोक पत्र का 50 प्रतिशत गोल्डन एरो 4. प्रतियोगिताएं 32 स्काउट एवं 16 गाइड तैयार करना 5. राज्य पुरस्कार 16 स्काउट एवं 8 गाइड तैयार करना 6. राज्य पुरस्कार का 50 प्रतिशत राष्ट्रपति स्काउट/ गाइड तैयार करना। 7. नियुक्त सेवर/ रेजर - 2 तैयार करना 8. राष्ट्रपति सेवर/ रेजर नियुक्त सेवर/ रेजर का 50 प्रतिशत। 9. प्रधानमंत्री शील्ट 2 स्काउट दल 2 गाइड दलों का पंजीयन 10. उपराष्ट्रपति अवार्ड - 2 सेवर दल एवं 2 रेजर दलों का पंजीयन 3 गतिविधि- 1. प्रत्येक ब्लॉक में स्काउट/ गाइड टोलोनायक प्रशिक्षण शिबिर का आयोजन 2. अत्याचार निवारण रैली 3. कब- बुलबुल कैंडिडेट 4. एडवेंचर एक्टिविटी 25 युवाओं की प्रतिभागिता 5. अंतरराष्ट्रीय-1/राष्ट्रीय-10/राज्य-15/संगण-20 स्तर पर प्रतिभागिता।						

Hideoc work.doc

4	प्रवेशन 1. अभिलिखित जिला कनिश्चर में से 25 प्रतिशत कनिश्चरों को प्रशिक्षित करना । 2. 50 प्रतिशत ब्लाक कनिश्चर को कनिश्चर ट्रेनिंग में भेजना। 3. प्रत्येक ब्लाक में ट्रेनिंग कोचिलर को नियुक्त करना।							
5	व्ययक संशोधन 1. प्रत्येक ब्लाक में सामान्य सूचना शिबिर का आयोजन। 2. 32 स्काउट मास्टर/12 गाइड केम्पिन को बैसिक प्रशिक्षण 3. 15 कब मास्टर एवं 5 फुलक लीडर को बैसिक प्रशिक्षण 4. 2 रोवर लीडर एवं 1 रेंजर लीडर को बैसिक प्रशिक्षण 5. 5 स्काउट मास्टर/2 गाइड केम्पिन को एडवन्स प्रशिक्षण 6. 5 कब मास्टर एवं 2 फुलक लीडर को एडवन्स प्रशिक्षण 7. 1 रोवर लीडर एवं 1 रेंजर लीडर को एडवन्स प्रशिक्षण 8. उन्नत विन्दु 5,6,7 में से 50 प्रतिशत का हिमालय घुड़ बैज करना 9. विन्दु 8 में से 25 प्रतिशत को ए.एल.टी. करना।							विवरण संलग्न करें।
6	भंडार / पत्रिका / रिक्कर 1. भंडार का संभालन निर्धारित शक्ति के अनुसार करना। 2. पत्रिका भण्डार-रवि के 100 वार्षिक एवं 10 अजीवन सदस्य बनाना। 3. स्टीकर निर्धारित संख्या के आधार पर वितरण।							
7	जनसंपर्क 1. 50 दलों से भेंट 2. प्रत्येक ब्लाक से भेंट							

नोट- प्रपत्रों के साथ जहाँ आवश्यक हो न्यायपर कटिंग व फोटोग्राफ संलग्न करें।

संलग्न-

- प्रतिलिपि- 1. राज्य संगठनायुक्त-स्का / गाइड राज्यमुख्यालय भोपाल
2. सहायक राज्य संगठनायुक्त-स्का / गासंभाग

हस्ता

जिला संगठनायुक्त-स्का / गा।